न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारीः– अजयदीप सिंह, आर.जे.एस.
मु.फौ. 234/2025
सी.आई.एस. 234/2025
CNR – RJCH110006522025

गायत्री पत्नी अमित कुमार पुत्री मोहनलाल निवासी लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरु हाल निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू।

–––– प्रार्थीया

बनाम

अमित कुमार पुत्र जयवीर निवासी लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरु

–––– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतरिम भरण पोषण बाबत

उपस्थितः–

1– प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री छतीस कुमार सांसी।

2– अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती मनीषा जोशी

आदेश दिनांक 23.09.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध अंतरिम भरण पोषण दिलवाने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की शादी अप्रार्थी के साथ दिनांक 27.12.2021 को सम्पन्न हुई थी। अप्रार्थी व उसके परिवारवाले प्रार्थीया को दहेज के लिए तंग–परेशान व मारपीट करते थे तथा प्रार्थीया को दिनांक 31.05.2024 को मारपीट कर घर से निकाल दिया व उसका स्त्रीधन देने से भी इनकार कर दिया। बार–बार प्रयास करने के बावजूद अप्रार्थी व उसके परिवारवाले, प्रार्थीया को बसाने को तैयार नहीं हैं। अप्रार्थी मकानों के निर्माण का ठेका लेता है, जो मासिक 50 हजार रूपये प्रतिमाह कमाता है व अच्छी कृषिभूमि है, जिससे 3–4 लाख रूपये सालाना आमदनी होती है तथा निवेदन किया कि प्रार्थीया को बतौर अंतरिम भरण–पोषण स्वरूप राशि 30000/– रूपये मासिक दिलवाए जावें।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा किए गए कथनों की इनकारी करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थी की शादी अदला–बदली में हुई थी, जिस कारण शादी में कोई दान–दहेज नहीं दिया गया था। अप्रार्थी के चन्द्रकला से कोई नाजायज संबंध नहीं हैं। चंद्रकला प्रार्थीया की भाभी है, जो अपने ससुराल नहीं जा रही है, जिस कारण दबाव बनाने के लिए प्रार्थीया ने यह मुकदमा किया है। प्रार्थीया स्वयं अपनी मर्जी से उसका घर छोड़कर गई है। प्रार्थीया जान–बूझकर प्रार्थी से पृथक रह रही है, जबकि अप्रार्थी आज भी उसको बसाने के लिए तैयार हैं। अप्रार्थी वर्तमान में बेरोजगार है। अप्रार्थी के पिता के पास 2.5 बीघा कृषिभूमि है, जिसमें से उसके हिस्से में 1/4 हिस्सा आता है। लिहाजा प्रार्थीया कोई भरण–पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को न्यायालय के समक्ष दोहराया तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीया जान–बूझकर अप्रार्थी से पृथक रह रही है तथा अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है। अप्रार्थी, प्रार्थीया को बसाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रार्थीया बसना नहीं चाहती। लिहाजा प्रार्थीया कोई भरण–पोषण पाने की अधिकारी नहीं हैं व प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

बहस उभय पक्षों की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन किया।

प्रार्थीया का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा उसके साथ दहेज की मांग को लेकर उससे मारपीट कर घर से निकालकर परित्याग कर रखा है, जिसके विपरीत अप्रार्थी का कथन रहा है कि प्रार्थीया अपने दाम्पत्य अधिकारों का निर्वहन नहीं कर रही है तथा बिना किसी उपयुक्त कारण से अलग रह रही है। उभय पक्षों द्वारा किए गए विरोधाभासी कथनों का निस्तारण बिना उभय पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध किए संभव नहीं है। दोनों पक्षों के मध्य स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीया, अप्रार्थी की पत्नी है, जिसके भरण–पोषण का सामाजिक, विधिक कर्तव्य अप्रार्थी का है।

अब न्यायालय को मात्र यह तय करना है कि प्रार्थीया, अप्रार्थी से कितनी भरण पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए

प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीया की ओर से अंतरिम भरण पोषण दिलवाए जाने के संदर्भ में प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अप्रार्थी से प्रकरण में भरण–पोषण हेतु मासिक प्रार्थीया को 3000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण के रूप में दिलवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीया गायत्री पत्नी अमित कुमार पुत्री मोहनलाल निवासी लम्बोर बड़ी तहसील राजगढ़ जिला चूरु हाल निवासी कैलाश तहसील तारानगर जिला चूरू की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत दिलवाए जाने अंतरिम भरण पोषण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह इस प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किए जाने की दिनांक 28.08.2024 से प्रार्थीया को अंतरिम भरण–पोषण के रूप में प्रार्थीया को 3000/– रूपये प्रतिमाह भरण–पोषण के रूप में अदा करे। उक्त राशि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रार्थीया को अप्रार्थी द्वारा अदा की जावेगी। यदि प्रार्थीया अन्य किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर रहे हैं तो उक्त राशि इस राशि में समायोजित होगी। आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे।

अजयदीप सिंह, (RJ1230)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
तारानगर, जिला चुरू।

आदेश आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अजयदीप सिंह, (RJ1230)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
तारानगर, जिला चुरू।